1।1017) वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन
अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 06।11।17 को पेश हो।

06।11।17 वकील वादी उप०। वकील श्री भगवाना राम प्रतिवादी सं. 3, 4, 11, 12 की तरफ से वकालतनामा पेश कर उपस्थित आये। वकील श्री भगवाना राम द्वारा जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर से पेश किया गया। नकल वकील वादी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते शेष प्रतिवादीगण के जवाबदावा हेतु दिनांक 24।11।17 को पेश हो। स्टेट की ओर से पैरोकार राज उप०।

24.11.17 वकील उभय पक्ष उपस्थित। जवाब दावा हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब दावा हेतु दिनांक 28.12.17 को पेश हो।

28-12-17 वकील उभयपक्ष उप०। वादी महेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। जिनका गांव के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा आपस में सुलहनामा करवा दिया है। इस कारण वादी/ प्रार्थी के पुनः दावा पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

महेन्द्र सिंह

वादी द्वारा वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं वाद को फैसलाशुमार करने बाबत निवेदन करने पर वादी के पुनः दावा पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए पत्रावली फैसलाशुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (रजिस्ट्रार)
श्रीगंगानगर